# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या 49 / 2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

1. मोहनराम पुत्र नगाराम
2. उदाराम पुत्र नगाराम
3. केशाराम पुत्र नगाराम
4. घमण्डाराम पुत्र नगाराम
5. चुनाराम पुत्र नगाराम

जातियान मेघवाल निवासी
पाबू भाखरी तहसील सिणधरी
जिला बालोतरा

1. कालूराम पुत्र नारणाराम
2. गिरधारीराम पुत्र देदाराम
3. रावताराम पुत्र देदाराम
4. जैसाराम पुत्र खंगाराराम
5. धुड़ाराम पुत्र खंगाराराम
6. लोंगोंदेवी पत्नी खंगाराराम
7. दुदाराम पुत्र धर्माराम
8. मूलाराम पुत्र धर्माराम
9. मांगाराम पुत्र धर्माराम, जातियान–मेगवाल
10. देवाराम पुत्र खेताराम
11. पूनमाराम पुत्र खेताराम
12. सवाराम पुत्र सुरराराम, जातियान–जाट
13. गुलाबचन्द पुत्र हरजीराम
14. घमडाराम पुत्र हरजीराम
15. छगनाराम पुत्र हरर्ज राम
16. राजूराम पुत्र हरजीराम
17. लुणाराम पुत्र हरजीराम, जातियान–नाई
18. आईदानसिंह पुत्र चन्दनसिंह
19. उदयसिंह पुत्र लालसिंह
20. चतरसिंह पुत्र चन्दनसिंह
21. जीवराजसिह पुत्र अमरसिह
22. देवीसिंह पुत्र अमरसिंह
23. मानसिंह पुत्र चन्दनसिंह, जातियान–राजपुत

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

24. आईदानराम पुत्र लिखमाराम

25. कंवराराम पुत्र लिखमाराम

26. खरथाराम पुत्र लिखमाराम

27. आईदानराम पुत्र मोटाराम

28. जगमालराम पुत्र मोटाराम

29. हुकमाराम पुत्र मोटाराम

30. पुराराम पुत्र रुगनाथराम

31. विशनाराम पुत्र रुगनाथराम

32. मांगाराम पुत्र खेमाराम

33. कोहलाराम पुत्र प्रेमाराम

34. गंगाराम पुत्र शेराराम, जातियान–जाट, निवासी–पाबू भाखरी (करना तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति–**

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

## आदेश

**दिनांक** 20.06.2024

**1**. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा –पाबू भाखरी, पटवार क्षेत्र–करना, तहसील सिणधरी जिला–बालोतरा में खसरा संख्या 277, 277/4 रकबा, 5.0158, 14.8452 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा पाबू भाखरी, पटवार क्षेत्र–करना, तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जिला–बालोतरा में खसरा संख्या 277, 277/4 रकबा, 5.0158, 14.8452 हैक्टेयरभूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा पाबू भाखरी, पटवार क्षेत्र–करना, तहसील सिणधरी जिला–बालोतरा में खसरा संख्या 277, 277/4 रकबा, 5.0158, 14.8452 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा पाबू भाखरी, पटवार क्षेत्र–करना, तहसील सिणधरी जिला–बालोतरा में खसरा संख्या 277, 277/4 रकबा, 5.0158, 14.8452 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा पाबू भाखरी, पटवार क्षेत्र–करना, तहसील सिणधरी जिला–बालोतरा में खसरा संख्या 277, 277/4 रकबा, 5.0158, 14.8452 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पाबू भाखरी, पटवार क्षेत्र–करना, तहसील सिणधरी जिला–बालोतरा में खसरा संख्या 277, 277/4 रकबा, 5.0158, 14.8452 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**

आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी**